

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3553
सोमवार, 10 अगस्त, 2026 / 19 श्रावण, 1948 (शक)

ईएलआई योजना के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी सुविधा तंत्र

†3553. श्री पी. सी. मोहन:

डॉ. नामदेव किरसान:

श्री दुलू महतो:

श्री रमेश अवस्थी:

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

श्री खगेन मुर्मु:

श्री नव चरण माझी:

डॉ. संजय जायसवाल:

श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

श्री प्रवीण पटेल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने नियोजन संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के कार्यान्वित होने और इसकी प्रभावशीलता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) योजना के अंतर्गत देश में महाराष्ट्र सहित योग्य संस्थानों और लाभार्थियों को जोड़ने में हुई प्रगति और योजना के अंतर्गत पंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों की संख्या का लिंग-वार, राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए डिजिटल सत्यापन, दावा प्रक्रिया और नियोक्ताओं के साथ समन्वय में सुधार करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) योजना के अंतर्गत अब तक सृजित हुई नौकरियों का क्षेत्रवार और राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) इस योजना से पूरे देश में औपचारिक रोजगार सृजित करने और कार्यबल में लोगों की भागीदारी बढ़ाने में किस प्रकार सहायता मिलने की अपेक्षा है; और
- (च) सरकार द्वारा औपचारिक रोजगार सृजित करने और योग्य नियोक्ताओं व अभ्यर्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की और महत्तर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, दिनांक 1 जुलाई 2025 को, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, एमएसएमई सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार से जुड़ी

प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया। इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 31.07.2027 तक दो वर्ष है और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए ₹99,446 करोड़ का बजटीय परिव्यय है।

इस योजना में दो भाग शामिल हैं, अर्थात् भाग क और भाग ख, तथा यह प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

योजना के भाग क के अंतर्गत, मौजूदा और नए दोनों स्थापनों के पहली बार रोजगार में आने वाले कर्मचारी एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन के पात्र होंगे, जो अधिकतम ₹15,000 के अध्यधीन होगा। यह प्रोत्साहन रोजगार के पहले वर्ष के दौरान दो किस्तों में देय होगा। ₹7,500 तक, पहली किस्त, छह महीने का निरंतर रोजगार पूरा होने के बाद वितरित की जाएगी। दूसरी किस्त के लिए पात्रता बारह महीने का रोजगार पूरा होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के सफल समापन के बाद उत्पन्न होगी। यह दूसरी किस्त एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक उपयुक्त बचत साधन/बचत खाते में जमा की जाएगी।

भाग ख दो वर्षों के लिए कम से कम 6 महीने तक बनाए रखे गए प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रति माह ₹3,000 तक प्रदान करके नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए अगले दो वर्षों तक विस्तारित लाभ शामिल हैं।

इस योजना का उद्देश्य 2 वर्ष की अवधि में पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। यह योजना भाग क के अधीन 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार में आने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना के भाग ख के अधीन नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रोत्साहन की पात्रता के मानदंडों को रेखांकित करने वाले योजना के व्यापक दिशानिर्देश, जारी कर दिए गए हैं। देश भर में व्यापक जनसंपर्क प्रयासों के माध्यम से इस योजना और इसके प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और लाभार्थियों तथा क्षेत्र-वार प्रगति की वास्तविक समय (रियल-टाइम) में निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक सुदृढ़ निगरानी ढांचा स्थापित किया गया है। योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम-प्रधान और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधित्व वाली एक संचालन समिति और एक आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

पीएमवीबीआरवाई एक मांग-संचालित योजना है। योजना के कार्यान्वयन से लेकर जून 2026 तक, पूरे देश में भाग क के अधीन पहली बार रोजगार में आने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को ₹744.58 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जबकि योजना के भाग ख के अधीन 67,369 लाभार्थी स्थापनों को ₹2,068.84 करोड़ वितरित किए गए हैं। यह प्रोत्साहन 6 महीने के निरंतर रोजगार के बाद देय है। हालाँकि, योजना के कार्यान्वयन के बाद से, पूरे देश में भाग क के अधीन कुल 99,92,924 पहली बार रोजगार में आने वाले कर्मचारियों को नामांकित किया गया है, जबकि भाग ख के अधीन 5,50,972 स्थापन पंजीकृत किए गए हैं। पंजीकरणों का महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक-1 में दिया गया है।

कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण, आधार प्रमाणीकरण और आधार-बैंक खाता लिंकेज के सत्यापन सहित उचित सत्यापन के पश्चात उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ढांचे के तहत आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से किया जाता है। स्थापनों को प्रोत्साहन राशि का वितरण स्थापन के प्रत्यय पत्रों (क्रेडेंशियल्स) के उचित सत्यापन के पश्चात उनके पैन से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।

*

“ईएलआई योजना के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी सुविधा तंत्र” के संबंध में श्री पी. सी. मोहन और अन्य द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3553 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पीएमवीबीआरवाई के अंतर्गत नामांकन और पंजीकरण का विवरण

राज्य	भाग क					भाग ख		
	पंजीकृत कामगारों की संख्या					पंजीकृत स्थापनों की संख्या	नए शामिल होने वालों की संख्या	पुनः शामिल होने वालों की संख्या
	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	अन्य	कुल			
अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	1,282	708	-	1	1,991	396	1,894	3,718
आंध्र प्रदेश	143,136	84,716	6	18	227,876	15,275	216,869	366,718
अरुणाचल प्रदेश	1,154	576	-	2	1,732	360	1,481	1,090
असम	41,984	16,275	-	31	58,290	6,112	54,835	58,675
बिहार	86,915	31,129	13	12	118,069	6,497	108,351	176,176
चंडीगढ़	23,186	8,418	-	1	31,605	1,572	30,977	86,063
छत्तीसगढ़	83,114	20,151	1	52	103,318	9,610	98,548	186,588
दादरा और नागर हवेली	23,069	5,759	-	1	28,829	1,185	27,937	65,050
दमन और दीव	8,308	3,724	-	-	12,032	708	11,128	25,413
दिल्ली	555,033	160,413	9	187	715,642	24,370	682,120	1,487,611

गोवा	31,645	11,699	-	9	43,353	3,048	41,794	85,318
गुजरात	613,458	144,559	1	53	758,071	43,256	720,700	1,528,795
हरियाणा	537,483	178,380	2	24	715,889	25,178	696,698	1,626,695
हिमाचल प्रदेश	52,131	20,728	-	3	72,862	6,891	72,220	128,742
जम्मू और कश्मीर	21,316	8,209	1	-	29,526	3,432	26,397	33,084
झारखंड	63,259	17,377	3	124	80,763	7,243	70,701	176,603
कर्नाटक	758,364	389,465	11	98	1,147,938	50,696	1,130,006	2,381,827
केरल	89,164	75,096	1	1	164,262	16,091	160,749	218,098
लद्दाख	151	97	-	-	248	88	237	424
लक्षद्वीप	59	14	-	-	73	6	64	54
मध्य प्रदेश	175,986	58,755	2	14	234,757	19,010	225,702	394,520
महाराष्ट्र	1,436,620	544,840	26	170	1,981,656	84,157	1,864,016	4,084,268
मणिपुर	1,371	1,006	-	1	2,378	433	2,337	1,812
मेघालय	4,249	2,109	-	-	6,358	365	5,892	5,826
मिजोरम	489	454	-	-	943	89	888	185

नागालैंड	912	946	-	-	1,858	211	1,415	513
ओडिशा	113,872	32,267	7	14	146,160	15,102	139,651	314,403
पुदुचेरी	10,606	8,829	1	2	19,438	1,455	18,324	30,965
पंजाब	111,730	53,740	-	3	165,473	15,810	156,886	286,352
राजस्थान	272,299	72,148	4	147	344,598	25,048	329,503	641,922
सिक्किम	2,178	1,019	-	-	3,197	352	2,800	4,037
तमिलनाडु	629,637	426,407	21	83	1,056,148	58,082	1,027,552	2,011,289
तेलंगाना	418,834	185,548	15	1,240	605,637	26,049	586,754	1,142,242
त्रिपुरा	2,846	1,333	-	-	4,179	595	4,004	3,553
उत्तर प्रदेश	437,397	140,838	1	104	578,340	39,714	560,266	1,186,379
उत्तराखंड	102,024	40,052	-	2	142,078	7,333	140,309	290,060
पश्चिम बंगाल	281,863	105,467	3	24	387,357	35,153	368,066	617,958
कुल	7,137,124	2,853,251	128	2,421	9,992,924	550,972	9,588,071	19,653,026
